SHRI MENTAY PADMANABHAM: Madam, there are other questions which are equally important. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 363.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Are you allowing a Half-an-hour discussion on this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow a Half-an-hour Discussion on it because it has got a much larger discussion area.

श्री शांति त्यागी : मैडम, आधे घंटे की चर्चा कराइए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow a Half-an-hour Discussion. Now let us go ahead.

Question No. 362.

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद

†*363. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की उच्च न्यायालयवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने पद रिक्त हैं, और

(ख) रिक्त पदों को कब तक भर लिए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) :

(क) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है **(नीचे देखिये)**

(ख) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित सांविधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया चल रही है । यह बताना सम्भव नहीं है कि ये रिक्त पद कब तक भर लिए जाएंगे ।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	पदों की स्वीकृत सं०	रिक्त पद
1.	इलाहाबाद	70	3
2.	आंध्र प्रदेश	26	5
3.	मुम्बई	54	10
4.	कलकत्ता	46	12
5.	दिल्ली	30	6
6.	गुवाहाटी	16	4
7.	गुजरात	30	2
8.	हिमाचल प्रदेश	8	1
9.	जम्मू-कश्मीर	10	—
10.	कर्नाटक	30	9
11.	केरल	24	2
12	मध्य प्रदेश	30	3
13.	मद्रास	28	4
14.	उड़ीसा	14	1

1	2	3	4
15.	पटना	35	4
16.	पंजाब और हरियाणा . . .	33	4
17.	राजस्थान . . .	25	2
18.	सिक्किम . . .	3	1
	योग	512	73

श्रीमती सत्या बहिन : मैडम, हमारा जो मूल प्रश्न है, उसका माननीय मंत्री जी ने आधा ही जवाब दिया है और आधे जवाब के लिए कह दिया है कि--

> "It is not possible to indicate when these vocancies are likely to be filled up."

उन्हें कब भरा जाएगा, यह कुछ नहीं बताया है और इसमें न बताना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें यह पूछना चाहती हूं कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने दिए हैं अपने जवाब में, उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने जज हैं और महिला जजों की संख्या क्या है, किस अनुपात में है ? क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के जजों का कोई आरक्षण का प्रावधान है या नहीं है ? मेरे इसी सवाल का दूसरा पार्ट यह है कि . . .

उपसभापति : वह सैकंड सप्लीमेंटरी में पूछ लीजिएगा, अभी मेरे पास 15 सवाल और गए है ।

श्रीमती सत्या बहिन : इसी के दूसरे पार्ट के रूप में पूछना चाहती हूं कि सीधे अधिवक्ताओं में से कितने जजों की नियुक्ति की गयी और हायर जूडिसियल सर्विसेज या प्रमोशन के द्वारा कितने जजों की नियुक्ति की गयी ? उसका अनुपात क्या है और साथ ही इस नियुक्ति की प्रक्रिया में योग्यता और अनुभव का क्या मापदण्ड है ?

श्री हसराज भारद्वाज : मैडम, जैसाकि मैंने पहले अर्ज किया कि अपाइंटमेंट के सिलसिले में हमको भिन्न-भिन्न कांस्टीट्यूशनल अथारिटीज से कंसल्टेशन करना पड़ता है जिसमें विलंब होता है । खास तौर पर स्टेट्स में जहां पर कि चीफ मिनिस्टर साहबान से कंसल्टेशन करना होता है, वह समय काफी लेते है और उसकी वजह से विलंब हो जाता है । दूसरे भाग का क्वेश्चन-- शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में है, मेरी जानकारी के मुताबिक 13 जज शेड्यूल्ड कास्ट और 7 जज शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे देश में है । (व्यवधान) . . . सुप्रीम कोर्ट में एक जज शैड्यूल्ड कास्ट के हैं। हाई कोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट के 13 और शड्यूल्ड ट्राइब्स के 7 हैं । इसके अलावा सरकार के भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न हाई कोर्टस को यह लिखा है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा रेकमंडेशंस शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स को भेजें क्योंकि रेकमन्डेशंस हाई कोर्ट से आती है और हम उसको प्रोसेस करते है । इसलिये हम उनको बार-बार याद दिलाते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको आगे लाया जाय । तो गवर्नमेंट की पालिसी इस प्रकार से है । जहां तक महिलाओं का सवाल है महिलाओं के भी अप्वाइंटमेन्ट्स पूरे देश में शुरू किये गये हैं । दिल्ली में जैसे मुझे जानकारी है--मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा कि कितनी महिलायें आज के दिन देश में हैं--लेकिन खासतौर से दिल्ली का मुझे मालूम है कि चार जजेज अकेली दिल्ली में है । इसके अलावा

मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस महिला हैं, हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस महिला है। दूसरे राज्यों में भी महिलायें आ रही हैं। महिलाओं का जितना भी ज्यादा से ज्यादा रिप्रजन्टेशन हो यह हम चाहते हैं। मैं माननीय सदस्या को यह आश्वासन देना हूं कि महिलाओं के बारे में सरकार बार बार यही याद दिलाती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें रिप्रजन्टेशन मिलना चाहिये।

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं। इससे स्पष्ट जाहिर हो गया है कि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जजों की संख्या बहुत कम है। लेकिन इसको संतुलित अनुपात में बढ़ाने के लिए क्या इनके लिये योग्यताओं में या अनुभव में कोई रिलेक्सेशन देने का सरकार का विचार है या नहीं है ? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी की जानकारी में इस तरह की बातें आई हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जजों के साथ जातीय आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है ? क्या इस बात की जानकारी आपके पास आई है कि इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश ने जब जजों का पैनल बनाया, अभी हाल में तो उसमें एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति भी नियुक्त किया गया, उनको जज के पैनल में रखा। लेकिन सवर्ण वर्ग के एक जज ने उनको अपने साथ बिठलाने से मना कर दिया और मामले को शांत करने के लिये माननीय मुख्य न्यायाधीश ने उस जज को अपने आप बिठलाया और मामले को शांत किया।

उपसभापति : यह चिट्ठी लिखकर पूछिये। यहां सवाल पूछिये। व्यक्तिगत रूप से यहां सवाल न पूछिये। पालिसी का सवाल पूछिये।

श्री हंसराज भारद्वाज : मैडम, जहां तक योग्यता का सवाल है आप हमारे साथ सहमत होंगी कि योग्यता उस व्यक्ति में हाई कोर्ट के जज बनने की पूरी होनी चाहिए। सरकार का यह मानना है कि शैड्यूल्ड और शैड्यूल्ड ट्राइबस जो हमारे देश में हैं, उनमें योग्यता की कमी नहीं है। वे बहुत योग्य हैं। खुद आप बाबा अम्बेडकर को याद करिए जो योग्यता के शिरोमणी हैं। वे भी शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से आए थे। जहां तक अप्वाइंटमेंट में भेदभाव का सवाल है, उसका कोई सवाल नहीं उठता। बल्कि हम उनको प्रोटेक्शन देकर इनडाइरेक्टली ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि यह लोग आगे आएं। इसलिए हमारी यह सर्च बदस्तूर जारी है कि इनमें जो टैलेंटेड हैं वे विभिन्न हाई कोर्टों में आयें और आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा आए हैं।

तीसरा सवाल इलाहाबाद का है। इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि हाई कोर्ट में जजों में अपास में इस प्रकार की कोई धारणा है या भावना है। यदि ऐसा है तो माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि वे बतायें, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा उसको दिखवाऊंगा। यह हाई कोर्ट का मामला है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने स्वीकारा है कि .. **(व्यवधान)**

उपसभापति : आपका सवाल हो गया, आप बैठिए। श्री आजमी।

मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी : इन्होंने कहा कि हम खाली जगहों के लिए कुछ नहीं कह सकते। मेरा उनसे सवाल है कि क्या वे यह बतलाने की तकलीफ करेंगे कि फ्यूचर में जो मकाम जजों के लिए खाली हों उनपर जो जज तकरीर होंगे, तो क्या उसमें मुस्लिम कम्युनिटी की मुनासिब नुमाईंदगी होगी ?

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :

انہوں نے کہا کہ ہم خالی جگہوں کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے میرا ان سے سوال ہے کہ کیا وہ یہ بتانے کی تکلیف گوارا کریںگے کہ فیوچر میں جو مقام ججوں کو ملیگے خالی ہوں ان پر جو جج مقرر ہوں تو کیا انمیں مسلم کمیونٹی کی مناسب نمائندگی ہوگی ۔]

श्री हंसराज भारद्वाज : : मैडम, बहुत वाजिब सवाल है . . .

श्रीमती सत्या बहिन : वाजिब या गैर-वाजिब है ?

श्री हंसराज भारद्वाज : : नहीं, वाजिब सवाल है । वह जो इनकी भावना है, वह मैं समझता हूं । हमारे देश में इस प्रकार से एपाइन्टमेंट नहीं होते कि यह हिन्दू है या यह मुसलमान है । लेकिन, माइनोरिटीज के बारे में यह हमेशा ध्यान में रखते है कि सुप्रीमकोर्ट में और हर हाईकोर्ट में जब एपांटमेंट हो तो उनका रिप्रेजेण्टेटिव मिले, जैसे बीकर सेक्शन के बारे में है, इसी प्रकार माइनोरिटीज के एपांटमेंट भी बदस्तूर हम ध्यान में रखते हैं और मैं आश्वासन देता हूं माननीय मेम्बर को, कि माइनोरिटीज की प्रोब्लमस के बारे में गवर्नमेंट हमेशा इतनी ही सीरियस रहती है, जितने आप इस बारे में सीरियस हैं । हमारा यह कमिटमेंट है कि माइनोरिटीज को हर तरीके से महफूज और उनको यकीनन तौर पर महफूज रखें ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : शुक्रिया ।

†[مولانا عبید اللہ خاں اعظمی :

شکریہ ۔]

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

श्री छोटूभाई पटेल : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गुजरात में जो दो रिक्त स्थान हैं वे कब तक भरे जायेंगे और यह भी पूछना चाहूंगा कि —

Is there any demand from Gujarat for more High Court judges? Secondly, what are the criteria for sanctioning the posts of judges?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a very vague question.

श्री हंसराज भारद्वाज : मैडम, दो वेकेंसी गुजरात में हैं, इन पर कंसलटेशन जारी है और जैसे ही कंस्टीटयूशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी अतिशीघ्र इनके एपाटमेंट कर दिए जाएंगे ।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Madam Deputy Chairperson, from the information available to us, we find that in the case of five High Courts, the strength is almost one-fifth of the sanctioned strength. The House and the country have been concerned over the mounting arrears. In this connection, I would like to point out that we have a large number of recommendations made by various conferences of High Court judges and Chief Justices. We also find that a large number of judges are needed for working on Commissions, etc.

Madam, it is well-known that the dates of retirement, dates of superannuation of judges are listed in a particular booklet. This is available to the Government in advance. When it is so, why should the process be delayed and blame laid on the State Governments that they are responsible for the delay, when it possible to expedite the appointments by starting the process, say, a year in advance, a one-and-a-half years in advance? This is particularly important because there is an increase in the number of vacancies either because of the requirements of the Executive for Commissions, or, sometimes, because of some unfortunate happenings.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, I can assure the hon. Member. He is aware because he himself, at one time had been the Secretary of Justice Department. The process for appointments is initiated much before the date of retirement or the occurrence of vacancy. The process in the Justice Department is started in anticipation of the vacancies arising. But Madam,—the hon. Member also knows it—the Constitutional authorities have to be consulted in the process of making the appointments which takes some time; sometimes, an unreasonably long time. I do not really want to mention the names of the States where, even now, this happens, where there is a backlog of vacancies. For example, the Bomboy, Calcutta and the Karnataka High Courts. There are three-four High Courts like that. He may be having them in mind. In these cases, we are still awaiting the views of the State authorities. Madam in a federal structure like ours, we cannot ignore the recommendations of the Chief Ministers because, ultimately, these fall under the jurisdiction of the States. Therefore, it is vital that we complete the Constitutional consultation because the appointments have to be made in consultation with them.

There is always a review. In his own time, there was a review. We can send notice to the States that if they do not do it, say, within two months or three months, we would presume that they have no comments to make. But in an atmosphere like the one obtaining today, you cannot tell the Chief Ministers that they should send their comments within two months or three months as to whether they are accepting or rejecting the proposal. A sort of harmonious relationship is necessary and the need for expediting the appointments should definitely be felt by the concerned authorities. From our side I can assure you, and he knows it, that there has never been any delay.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, before I ask my question I must express my great dissatisfaction at the way the Opposition parties are functioning—they have done nothing for suspension of the Question Hour.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: My friend Mr. Salve has justified his presence here with a beautiful bush-shirt.

SHRI DIPEN GHOSH: Only to give a chance to Shri Salve to come on the T.V.

SHRI N. K. P. SALVE: The two topmost High Courts have the dubious distinction of having the largest number of vacancies—Bombay and Calcutta. To my personal knowledge, I know that eminent lawyers who are making any amount of money these days are unwilling to come from the bar to the bench because *inter alia* it involves the question of economic security. There used to be a time when elevation to the bench was considered to be a matter of great honour and it also ensured a certain amount of basic economic security. Unfortunately, with the prices having run berserk and wild, it appears, it is the question of economic security which stands in the way of eminent and good lawyers joining the bench. Though it is a question of honour, one has to consider the sacrifice which one has to make. Therefore, may I know whether you are going to do any rethinking on the terms of employment of judges to make them more attractive?

SHRI H. R. BHARDWAJ: I may point out to the hon. Member that we had reviewed the perks and facilities of the Judges in the High Court and Supreme Court very recently and I can say with confidence that Judges are the most well-looked-after section working under the Constitution. They have a free house, a free car with a certain amount of petrol... (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: They are not satisfied.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Let me complete my reply. The question of satisfying in terms of money is such a thing where nobody can be permanently satisfied. Even Mr. Salve is earning a lot of money...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Satisfaction is a very relative term.

SHRI N. K. P. SALVE: Of other things I am more satisfied sharing company with Mr. Inder Kumar Gujral.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I can assure you that the Judges are always consulted. We always consult the Chief Justice of India. The Chief Justices meet in conferences in Delhi. They make suggestions from time to time. Considering the overall pay-structure of various functionaries under the Constitution Judges are given the highest pay and perks under the system. So, you cannot really say that they are not coming to the bench only for that consideration. Their talent is still coming. As you know, in Bombay Judges have been appointed. Some of them were having a lot of income but tht satisfaction of being a Judge is both satisfying in terms of intellectual satisfaction as well as money.

*364. [The questioner (Shri Moturu Hanumantha Rao) was absent. For answer, *vide* Col..... *infra*.] ..

*365. [The questioner (Shri Rajubhai A. Parmar) was absent. For answer, *vide* Col..... *infra*.]

SHRI DIPEN GHOSH: The hon. Members did not think that their questions would be reached at all.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I try to cover as many questions as I can because with great difficulty Members get an opportunity.

जिला स्तरीय विकास योजना

@*366. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जिला स्तरीय विकास योजना बनाने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या प्रबंध हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

योजना आयोग वर्ष 1969 से जिला योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों पर दबाव डालता रहा है । राज्यों को जिला योजनायें तैयार करने में समर्थ बनाने के के लिए; राज्य एवं जिला स्तरों पर आयोजना मशीनरी को सुदृढीकरण स्कीम के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाती हैं । माडल योजनाएं तैयार करने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं । योजना आयोग के पास भी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा 5 जिलों के लिए तैयार की गई माडल योजनायें हैं । जिला योजनायें तैयार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं । जिला स्तरीय योजनायें तैयार करने हेतु राज्यों से भी और अधिक अधिकार सौंपने तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने का अनुरोध किया जा रहा है । 'अनटाइड' निधियों के प्रावधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर लघु परियोजनायें शुरू करने हेतु कुछ विवेकाधीन निधियों को रखा जा सके ।

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 230, 23 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित ।